''बीआरकेजीबी फ्लेक्सिबल सावधि जमा योजना''

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
(i)	योजना का नाम	**बीआरकेजीबी फ्लेक्सिबल सावधि जमा योजना** **BRKGB FLEXIBLE FIXED DEPOSIT SCHEME**
(ii)	उत्पाद/योजना	इस उत्पाद में जमाकर्ता को इच्छानुसार अवधि में राशि आहरित करने की अत्यंत लचीली सुविधा का लाभ प्राप्त है। इसमें सावधि जमा पर अत्यंत उच्च ब्याज दर और बचत जमा राशि से जुड़ी सरलता और तरलता दोनों की विशेषताएं शामिल है।
(iii)	स्कीम कोड	इस योजना के तहत खाते स्कीम कोड **TD 107** में खोले जाएंगे। **बैंक की सभी शाखाओं द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा।**
(iv)	इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है	यह योजना वेतनभोगी मध्यम आय वर्ग, स्व–नियोजित व्यावसायी एवं कृषक जैसे लोगों के लिए आदर्श है, जो उच्च दर से ब्याज कमाने के प्रयोजन से अपनी बचत लम्बी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हों और साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर इसकी सुलभता और तरलता का लाभ भी चाहते हो।
(v)	यह खाता खोलने के लिए कौन पात्र है	अवयस्क सहित एकल व्यक्ति या संयुक्त रूप से, अविभक्त हिन्दू परिवार, एकल स्वामित्व एवं साझेदारी फर्म, सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनियां, संघ, क्लब, न्यास एवं पंजीकृत समितियां।
(vi)	न्यूनतम जमा राशि	इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम ₹ 5,000/– की राशि जमा रखी जानी है, जिसे ₹ 1,000/– प्रत्येक की –5– इकाई समझा जाएगा।
(vii)	अधिकतम जमा राशि	(क) कोई अधिकतम सीमा नहीं। (ख) ₹ 5,000/– से अधिक की जमाराशियां, ₹ 1,000/– के गुणक में स्वीकृत की जाएंगी।
(viii)	न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि	इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 12 माह एवं अधिकतम 60 माह की अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकार की जाएंगी।
(ix)	ब्याज की दर	(क) समय–समय पर बैंक में सावधि जमाराशियों के लिए प्रचलित ब्याज दर। (ख) वरिष्ठ नागरिकों को बैंक नियमानुसार (वर्तमान में 0.50 प्रतिशत) अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान किया जायेगा। (ग) स्टॉफ सदस्यों के एकल/आश्रितों के साथ संयुक्त खातों में, नियमानुसार (वर्तमान में 1.00 प्रतिशत) अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान किया जायेगा। (घ) वरिष्ठ नागरिक स्टॉफ सदस्यों को बैंक नियमानुसार (वर्तमान में 1.50 प्रतिशत) अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।
(x)	ब्याज भुगतान/जमा करना एवं परिपक्वता मूल्य	जमाराशि पर देय ब्याज अनुबंधित ब्याज दर पर प्रत्येक छःमाही में खाते में जमा किया जाएगा, जैसा कि आरआईआरडी योजना में तिमाही चक्रवृद्धि लाभ के साथ किया जाता है। (प्रभावी आय कर नियमों के अनुसार, जहां लागू हो, स्त्रोत पर कर की कटौती के आधीन) परिपक्वता मूल्य की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे कि आरआईआरडी योजना के अंतर्गत की जाती है।
(xi)	पूर्व–भुगतान सुविधा	(क) पूर्व भुगतान सुविधा न्यूनतम ₹ 1,000/– की एक इकाई की जमाराशि पर दी जाएगी। (ख) पूर्व – भुगतान की गई जमा इकाई को आंशिक आहरण समझा जाएगा और आहरित इकाई/यों पर ब्याज का भुगतान, इकाई के बैंक के पास रहने की अवधि तक के लिए, खाता खोलते समय उस अवधि के लिये लागू ब्याज की दर में से दण्डात्मक ब्याज (वर्तमान में 1%) घटाकर किया जाएगा। (ग) यदि जमाराशि संयुक्त नाम पर है तो इकाई/यों के पूर्व – भुगतान के लिए अनुरोध, लिखित रूप से किया जाएगा और उन पर सभी जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (घ) शेष इकाईयों पर, जमा किए जाने की तारीख से परिपक्वता की तारीख तक, ब्याज अनुबंधित दर से अर्जित होना जारी रहेगा। (ड.) जमा इकाईयों के आहरण और ब्याज को रसीद के पीछे पृष्ठांकन के रूप में दर्ज किया जाएगा।
(xii)	ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा	(क) बैंक नियमों के अनुसार, इस योजना की जमा राशियों के पेटे भी ऋण/ओवरड्राफ्ट की सुविधा की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऋण/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर, प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।
(xiii)	नामांकन सुविधा	इस योजना के अंतर्गत नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
(xiv)	**अन्य सुविधाएं**	(क) जमाराशि का बैंक की दूसरी शाखा में अंतरण, नाम घटाना/बढाना इत्यादि अन्य सुविधाएं भी इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। (ख) जमाराशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम अंतरित नहीं की जाएगी। (ग) आर.आई.आर.डी. जमाराशियों पर लागू अन्य सभी सुविधाएं, आवश्यक परिवर्तनों सहित **बीआरकेजीबी फ्लेक्सिबल सावधि जमा योजना** पर भी लागू होगी।
(xv)	**विविध**	(क) यह योजना अनिवासियों के लिए नहीं है। (ख) वर्तमान जमाराशि में नई इकाईयां नहीं जोड़ी जाएंगी। (ग) परिपक्वता से पहले कुछ इकाईयों के पूर्व – भुगतान के समय नामे वाउचर के पीछे, नियमानुसार रसीदी टिकट पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उन्मोचन लिया जाएगा। तथापि ऐसे पूर्व भुगतान के लिए जमा रसीद के पीछे प्रविष्टि के संदर्भ में भी जमाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य लिये जाएंगे। (घ) प्रत्येक छःमाही में बकाया राशि पर ब्याज 31 मार्च व 30 सितम्बर को खाते में जमा किया जाएगा, जैसा कि आर.आई.आर.डी. के मामले में किया जाता है।